



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/447

दिनांक : 5/2/18

प्रति,

प्राचार्य,
न्यू ईरा शिक्षा महाविद्यालय,
199/4, आवास नगर, (मकसी रोड,
देवास।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता-निरंतरता आवेदन क्रमांक / 116, दिनांक 07.04.2017


उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता-निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 05.12.2017 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.10.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि, न्यू ईरा शिक्षा महाविद्यालय, देवास में सत्र 2017-18 से बी.एड. पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उपरोक्त महाविद्यालय को सत्र 2017-18 से बी.एड. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता-निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने की शर्त पर प्रदान की जाती है।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017-18 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितान्त अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एड.	100

- शर्तें :-**
01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.12.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।
 02. पृष्ठ भाग के सुझाव अनुरूप सशर्त विस्तार किया जावे।
 03. नवीन पुस्तकें एवं गजेटीयर क्रय कर पुस्तकालय में रखे जायें।
 04. चयनित प्राचार्य एवं शिक्षकों का न्यासी बोर्ड से अनुमोदन हेतु अनुशंसा की गई।
 05. प्रयोगशालाओं का उन्नयन कराया जाये।
 06. खेल मैदान को विकसीत करें।
 07. पेयजल की व्यवस्था प्रत्येक तल पर की जाये।

आदेशानुसार


कुलसचिव